NATIONAL CENTRE FOR SCHOOL LEADERSHIP
Every Child Learns
Every School Excels

jk"Vªh; fo|ky; urRo dsanz

fo|ky; urRo fodkl

jk"Vªh; dk;ZØe dh :ijs[kk

vkSj

ikB~;p;kZ dk <kapk

jk"Vªh; 'kSf{kd ;kstuk ,oa iz'kklu fo'ofo|ky;

jk"Vªh; fo|ky; urRo dsanz
jk"Vªh; 'kSf{kd ;kstuk ,oa iz'kklu fo'ofo|ky;
17 & Jh vjfcUn ekxZ] ubZ fnYyh&110 016 ¼Hkkjr½
bZ-ih-,-ch-,Dl- 26565600] 26544800
QSDl 91&011&26853041] 26865180

दल के सदस्य

रश्मि दीवान
सुनीता चुग
कश्यपी अवस्थी
सुबिथा जी.वी.
एन. मैथिली
सीमा सिंह
श्रेया तिवारी
जी.एस. नेगी
चारु स्मिता मलिक
नम्रता
दरक्शां परवीन
मोनिका बजाज

राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केन्द्र

विद्यालयों को गुणवत्ता शिक्षा के प्रभावी केन्द्रों में रूपांतरण हेतु मज़बूत और एक अच्छी तरह से जानकारीयुक्त नेतृत्व की आवश्यकता है जो कि परिवर्तन और नवाचार की प्रक्रिया में संलग्न हो। न्यूपा अभिविन्यास और अनुभवों के आदान–प्रदान के लिये समय–समय पर विद्यालय प्रमुखों और प्रशासकों को साथ लाता है, परंतु यह महसूस किया गया है कि इस प्रयास की ओर अधिक संवर्धित होने की आवश्यकता है। न्यूपा में विद्यालय नेतृत्व राष्ट्रीय केंद्र (एन सी एस एल) की स्थापना स्थायी आधार पर इस ज़रूरत को संबोधित करने की दिशा में एक कदम है।

इस प्रकार विद्यालय नेतृत्व राष्ट्रीय केंद्र के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता, परिवर्तन के लिए नेतृत्व क्षमता का निर्माण करना है जिससे अंततः विद्यालयों में बदलाव आ सके। इस मिशन को प्राप्त करने में केंद्र, विद्यालय प्रमुखों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम में संलग्न होगा, जो कि विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों की ज़रूरतों और मुद्दों तथा उनमें व्याप्त विविधता पर आधारित पाठ्यक्रम के अनुसार होगा। अनुभवों के सार्थक विनिमय, गौण अधिगम तथा साझा समस्या को सुलझाने की सुविधा के लिए केंद्र विद्यालयों तथा संबंधित संसाधन संस्थानों के बीच नेटवर्किंग को प्रोत्साहन देगा। यह प्रणालीगत और संस्थागत स्तर पर तथ्य आधारित निर्णय लेने को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालय शिक्षा के अभिशासन और नेतृत्व पर अनुसंधान का आयोजन करेगा तथा बढ़ावा देगा। यह केंद्र विद्यालय अभिशासन तथा नेतृत्व के क्षेत्र में सभी विकास सूचनाओं के लिए एक भंडार गृह के रूप में कार्य करेगा।

नेतृत्व कार्यक्रमों में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त क्षेत्र में कार्य कर रहे अध्यापकों सहित प्रशासकों एंव कार्यरत और हाल ही में नियुक्त हुए विद्यालय प्रमुख सम्मिलित होंगे। संस्था, गाँव, ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर समेत सभी स्तरों पर नेतृत्व निर्माण इस कार्यक्रम का सार है, जिसका उद्देश्य विद्यालयों और विद्यालय शिक्षा प्रणाली के प्रबंधन और नेतृत्व में रूपांतरण करना है।

राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र

राष्ट्रीय कार्यक्रम की रूपरेखा
और
पाठ्यचर्या का ढांचा

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा)
(भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत घोषित)

© न्यूपा

प्रथम संस्करण : अगस्त, 2014
संशोधित प्रकाशनः अप्रैल, 2015

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा),
17 – बी, श्री अरबिन्द मार्ग, नई दिल्ली–110 016 के रजिस्ट्रार द्वारा प्रकाशित तथा मेहता ऑफसेट प्रा.लि.,
नई दिल्ली–110 028 द्वारा मुद्रित।

आमुख

हाल के वर्षों में भारत की विद्यालय प्रणाली का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। प्राथमिक शिक्षा की पहुंच लगभग सार्वभौमिक स्तर तक आ गई है। माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में भी भारी वृद्धि हुई है और यह देश के अनेक भागों में सार्वभौमिकता की ओर तेज़ी से बढ़ रही है। यद्यपि इस मात्रात्मक विस्तार ने बच्चों की भागीदारी स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है परंतु गुणवत्ता का सवाल अभी भी बरकरार है। यह अनुभव किया जा रहा है कि मात्र समष्टि स्तरीय रणनीतियों के द्वारा गुणवत्ता की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हमें प्रणाली स्तरीय सुधार से आगे बढ़कर विद्यालय स्तर की कारवाई पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। 1.5 मिलियन से अधिक विद्यालयों के लिए कार्य करना कोई आसान नहीं है और किसी केंद्र स्तर के कार्यक्रम के ज़रिए सबको संबोधित नहीं किया जा सकता है। विद्यालय को शिक्षा अधिगम संगठन के रूप में रूपांतरित करने के लिए स्थानीय स्तर के कार्यकर्ताओं की सीधी भागीदारी में और अधिक बढ़ोत्तरी करने की आवश्यकता है। वास्तव में विद्यालय नेतृत्व विकास के राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य यही है जो इस दस्तावेज़ में प्रस्तुत है। इस मिशन में निःसंदेह विद्यालय प्रमुख स्थान प्राप्त करता है।

प्रस्तुत दस्तावेज़– 'कार्यक्रम की रूपरेखा और पाठ्यचर्या का ढ़ांचा' में मूलभूत सिद्धांत दिया गया है जो प्रत्येक विद्यालय के विकास और परिवर्तन के कार्य को प्रतिपादित करता है। यह दस्तावेज़ शोध और संस्थाओं के नेटवर्क के साथ परिपूरक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यह विद्यालय प्रणाली के अंतर्गत नेतृत्व क्षमता विकास में प्रयुक्त होने वाली विषयवस्तुओं और प्रक्रियाओं को अत्यंत ही स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करता है। यह पाठ्यचर्या सभी कार्यवाहियों में विद्यार्थी व सीखने–सिखाने की प्रक्रिया पर मुख्य रूप से ध्यान देती है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आयोजित अनेक परामर्श बैठकों में अनेक विशेषज्ञों तथा इस क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के साथ की गई व्यापक चर्चाओं के आधार पर इस पाठ्यचर्या का विकास किया गया है। इस दस्तावेज़ में देश के विविध संदर्भों और दशाओं में कार्यरत विद्यालयों को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित किया गया है कि यह पाठ्यचर्या न केवल गुणवत्ता संबंधी मुद्दों बल्कि समता की ज़रूरतों को भी संबोधित करे। किसी भी पाठ्यचर्या को परिवर्तनशील होना होगा और विद्यालय प्रणाली की बदलती मांग के अनुसार उसमें अपेक्षित बदलाव लाना होगा। इसे ध्यान में रखते हुए और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से प्राप्त प्रतिपुष्टि के फलस्वरुप, हमने इस पाठ्यचर्या में एक अतिरिक्त मुख्य क्षेत्र 'विद्यालय प्रशासन का नेतृत्व' जोड़ा है जो कि विद्यालय नेतृत्व के लिए आवश्यक प्रशासन एवं वित्तीय पहलुओं को शामिल करता है।

मैं इस संशोधित दस्तावेज़ के प्रकाशन के लिए राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र को बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि राज्य सरकार के प्राधिकरणों, विद्यालय प्रमुखों और विद्यालय नेतृत्व विकास के क्षेत्र से जुड़े अन्य संगठनों और व्यक्तियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

नई दिल्ली
अप्रैल 1, 2015

आर. गोविंदा
कुलपति

आभार

विद्यालयों को रूपांतरित करने हेतु विद्यालय प्रमुखों को अपेक्षित ज्ञान, कौशल और मनोवृत्ति से सशक्त बनाने के लिए न्यूपा में राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र की स्थापना की गई है। एन सी एस एल विद्यालय नेतृत्व विकास पर केंद्रित कार्यक्रम की रूपरेखा और पाठ्यचर्या के ढांचे के विकास संबंधी कार्य में संलग्न रहा है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी प्रकार की गतिविधियों में केंद्र को समर्थन दिया है जिसके कारण केंद्र प्रभावी रूप से कार्य करने में समर्थ हो सका है। इसके लिए हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

यह दस्तावेज़ राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर पर की गई अनेक चर्चाओं, तथा परामर्श बैठकों का परिणाम है। इस प्रक्रिया से एन सी एस एल, राष्ट्रीय संसाधन समूह, राज्य सरकारों तथा राज्य संसाधन समूहों के बीच परस्पर सद्भाव और एकजुटता की भावना का विस्तार हुआ है। हमें प्रत्येक सदस्य का निरंतर समर्थन, मार्गदर्शन और दस्तावेज़ के विकास के हर स्तर पर प्रोत्साहन मिला है। ऐतदर्थ, हम प्रत्येक सदस्य के बहुत आभारी हैं।

हम विशेष रूप से अपने मार्गदर्शक (मेंटर), श्री आदित्य नटराज, श्री सुनील बत्रा और सुश्री शशी मेंदीरत्ता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। इस कार्य में हमें नेशनल कालेज ऑफ टीचिंग एण्ड लीडरशीप, यू.के., विशेषकर डॉ. रॉबिन एटफील्ड और डॉ. रश्मि सिन्हा का परामर्श और सहयोग भी मिला है।

इस दस्तावेज़ के विकास में हम प्रशासनिक और सचिवीय सहयोग के लिए श्री एस.के. भटनागर, सुश्री अल्का नेगी और सुश्री गुरमीत सारंग को धन्यवाद देते हैं।

हम इस दस्तावेज़ की डिज़ाइन तैयार करने में अमूल्य योगदान के लिए श्री अतनु राय, श्री राजेश हांडा और बिरेन्द्र सिंह नेगी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

हम न्यूपा के संपादन और प्रकाशन दल के सभी सदस्यों विशेषकर श्री सोमनाथ सरकार, श्री प्रमोद रावत और श्री अमित सिंघल को हार्दिक धन्यवाद देते हैं।

विषय सूची

आमुख III

आभार V

1. प्रस्तावना 1

राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र 2

2. कार्य परिचालन की रूपरेखा 4

राष्ट्रीय स्तर पर 4

राज्य स्तर पर 5

3. विद्यालय नेतृत्व कार्यक्रम का उपागम 6

घटक–1 पाठ्यचर्या और सामग्री विकास 6

घटक–2 क्षमता विकास 7

घटक–3 नेटवर्क और संस्थानिक निर्माण 9

घटक–4 शोध और विकास 10

4. विद्यालय नेतृत्व विकास के लिए पाठ्यचर्या का ढांचा 11

व्यापक लक्ष्य 12

मार्गदर्शी सिद्धांत 12

पाठ्यचर्या का कार्यान्वयन 12

5. मुख्य क्षेत्र 13

मुख्य क्षेत्र–1 विद्यालय नेतृत्व का दृष्टिकोण 15

मुख्य क्षेत्र–2 स्वयं का विकास 17

मुख्य क्षेत्र–3 शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया का रूपांतरण 18

मुख्य क्षेत्र–4 दल बनाना तथा दल का नेतृत्व करना 20

मुख्य क्षेत्र–5 नवाचारों का नेतृत्व 21

मुख्य क्षेत्र–6 साझेदारियों का नेतृत्व 22

मुख्य क्षेत्र–7 विद्यालय प्रशासन का नेतृत्व 23

विशेष क्षेत्र 25

सामग्री विकास : अनुकूलन और संदर्भीकरण 28

प्रस्तावना

आज के समय में विद्यालय सार्वजनिक विमर्श का मुद्दा बन गया है, जो कि शायद पहले नहीं था। इसलिए ज्ञानपरक समाज की बढ़ती आकांक्षाओं के अनुरूप विद्यालयों में बदलाव करना अनिवार्य हो गया है। विद्यालयों में बदलाव की अनिवार्यता को साकार करने के लिए एक नेतृत्वकर्ता और प्रबंधन के रूप में विद्यालय प्रमुखों की ज़िम्मेदारी बढ़ रही है। भारतीय संदर्भ में विद्यालय नेतृत्व विकास को प्रणालीबद्ध उपागम की आवश्यकता है। इसकी महत्ता और भी अधिक हो जाती है जब इसे बच्चों के अधिकार आधारित उपागम के सन्दर्भ में देखा जाता है, जिनमें शिक्षा के समान अधिकार, शिक्षा तक सभी की पहुँच, सभी के लिए गुणावत्तापूर्ण शिक्षा व आनंददायी अधिगम वातावरण के अधिकार समाहित हैं। इनकी पूर्ति ऐसे प्रभावकारी विद्यालय नेतृत्व पर निर्भर है जो विद्यालय के रूपांतरण संबंधी कार्य में संलग्न है। विद्यालय नेतृत्व की आवश्यकता उन विद्यालयों के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में सीमित संसाधनों के साथ कार्य कर रहे हैं और साथ ही साथ अभिभावकों और समुदाय की बढ़ती अपेक्षाओं से जूझ रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में विद्यालय नेतृत्वकर्ता को पर्याप्त रूप से अपेक्षित ज्ञान और कौशलों से सशक्त बनाने की आवश्यकता है ताकि वे मौजूदा चुनौतियों व परिस्थितियों में विद्यालय में उपलब्ध अवसरों का समीक्षात्मक विश्लेषण करने में सक्षम हो सकें। इस संदर्भ में विद्यालय प्रमुखों, अध्यापकों और विद्यार्थियों को सृजनात्मकता और नवाचार हेतु प्रोत्साहित करने के लिए अपेक्षित ढांचा और प्रक्रियाएं बनानी बहुत आवश्यक है ताकि विद्यालयों को 'उत्कृष्ट केंद्र' के रूप में रूपांतरित किया जा सके।

विद्यालय की कोई निरपेक्ष सत्ता नहीं होती है। वास्तव में विद्यालय जिस समाज में स्थित होता है और कार्य करता है उस समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आयामों को प्रतिबिंबित करता है। अतः विद्यालयों को उत्कृष्ट केंद्र के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से परिकल्पित विद्यालय नेतृत्व कार्यक्रम में समाज की इन व्यापक सच्चाईयों को नज़र–अंदाज़ करना बहुत कठिन होगा। विद्यालयों में समग्र बदलाव का यह कार्य विद्यालय नेतृत्व में प्रशासनिक और प्रबंधकीय ज़िम्मेदारी से आगे बढ़कर प्रतिबद्धतापूर्ण सक्रिय कार्य व्यवहार की मांग करता है। यह माना जा रहा है कि विद्यालय प्रमुख विद्यालय में बदलाव की समस्त प्रक्रिया का मुख्य परिचालक होता है। अतः विद्यालय रूपांतरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम निश्चित रूप से विद्यालय प्रमुखों का ऐसे प्रशिक्षण मॉडल से क्षमता विकास करना है जो प्रचलित प्रशिक्षण मॉडल से अलग हो और विद्यालयों के सम्मुख आ रही असली चुनौतियों को संबोधित करे व प्रशिक्षण के दीर्घकालिक विकास के मॉडल पर आधारित हो। देशभर में इस दिशा में विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों के विद्यालय प्रमुखों के क्षमता विकास और सुधार हेतु विद्यालय नेतृत्व विकास कार्यक्रम आरंभ किया जा रहा है।

राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र

राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र, न्यूपा की स्थापना नेतृत्व विकास द्वारा मुख्यतः साधारण विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में बदलने और अंततः संपूर्ण विद्यालय प्रणाली में सुधार लाने के प्रयोजन से की गई है। अतः एन सी एस एल की मुख्य प्राथमिकता ऐसा विद्यालय नेतृत्वकर्ता तैयार करना है जो विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय बना सके। सभी हित धारकों के समन्वयित प्रयास द्वारा विद्यालय रूपांतरण के इस महत्वपूर्ण कार्य में प्रशासकों और शिक्षाकर्मियों की सतत् भागीदारी आवश्यक है। एन सी एस एल देश भर में विद्यालय शिक्षा के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में व्यापक रूप से बदलाव लाने की आकांक्षा रखता है।

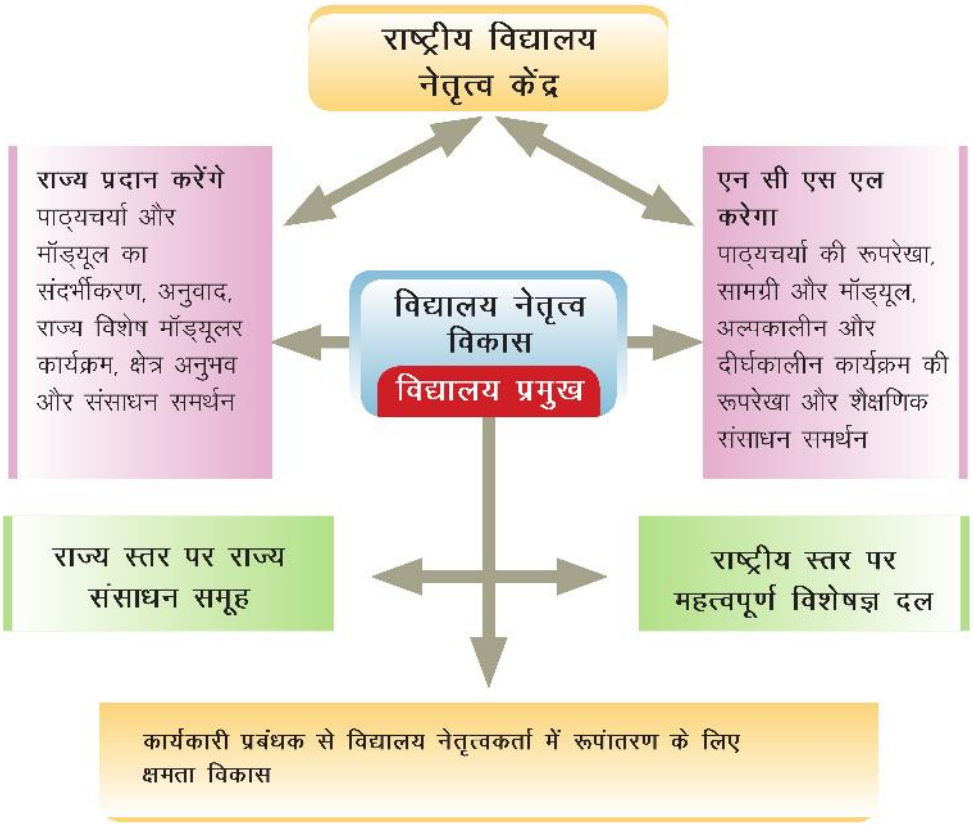

एन सी एस एल देशभर में नेतृत्व विकास कार्यक्रम के माध्यम से विद्यालय की विविधता को समाहित करने में सक्षम एक लचीले ढांचे की कल्पना करता है। इसके अंतर्गत छोटे–बड़े आकार के विद्यालयों सहित प्रबंधन की दृष्टि से और विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में स्थित विविध प्रकार के प्रारंभिक, माध्यमिक विद्यालय से लेकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को समाविष्ट किया गया है। एन सी एस एल जिस विज़न और उद्देश्यों के लिए स्थापित किया गया है वह उसके कार्यादेश में स्पष्ट रूप से मुखरित है। इस केंद्र का कार्यादेश हैः देश के प्रत्येक विद्यालय तक पहुंचकर उसका रूपांतरण करना।

विज़न

विद्यालय के रूपांतरण के लिए नेतृत्व की नई पीढ़ी तैयार करें ताकि हर बच्चा सीखे और हर विद्यालय उत्कृष्ट हो

मिशन

गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालय स्तर पर संस्थानिक विकास हेतु नेतृत्व क्षमता को समृद्ध बनाएं

कार्य परिचालन की रूपरेखा

विद्यालयों के रूपांतरण के विज़न को नई पीढ़ी के नेतृत्वकर्ताओं का सृजन कर प्राप्त कर सकते हैं। जिसके लिए एन सी एस एल, केंद्र और राज्य स्तर के संस्थानों के बीच सहकार्य के ताने–बाने के माध्यम से सामूहिक अधिगम का अनुभव प्राप्त करेगा। इनका संक्षिप्त विवरण नीचे प्रस्तुत है:

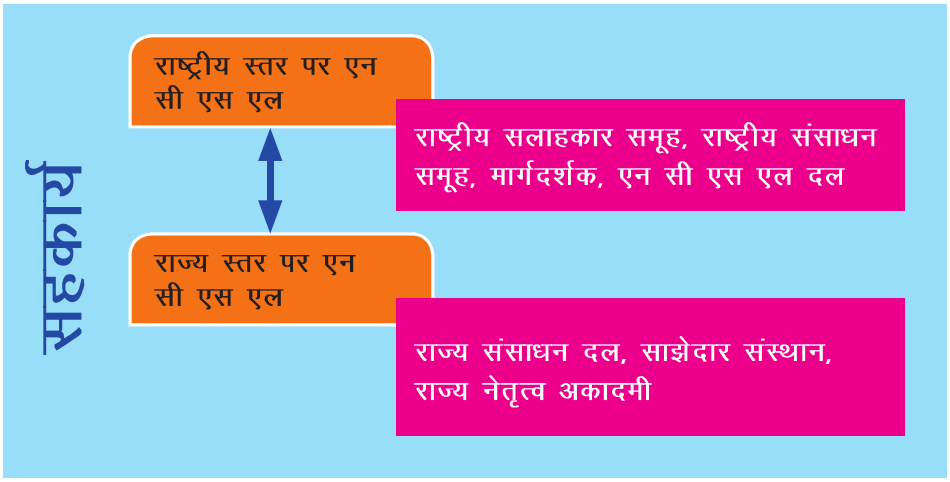

राष्ट्रीय स्तर पर

एन सी एस एल, प्रो. आर गोविंदा, कुलपति, न्यूपा के नेतृत्व के अंतर्गत कार्य करता है। इसके अलावा राष्ट्रीय सलाहकार समूह, राष्ट्रीय संसाधन समूह और मार्गदर्शकों के रूप में विशेषज्ञों का समूह इसका मार्ग दर्शन करता है। न्यूपा स्थित एन सी एस एल का दल राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय नेतृत्व विकास कार्यक्रम के सभी पक्षों पर कार्य कर रहा है। यह केंद्र अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी जैसे– नेशनल कॉलेज फॉर टीचिंग एण्ड लीडरशीप (एन सी टी एल), नाटिंघम, यू.के. के निकट सहयोग से भी कार्य करता है।

राज्य स्तर पर

एन सी एस एल के कार्यकलाप और गतिविधियां आवश्यकता आधारित हैं और इनको राज्य/संघ तथा राष्ट्रीय स्तर के सभी हितधारकों की सहभागिता के माध्यम से किया जाता है। राज्य नेतृत्व विकास का कार्यान्वयन राज्य/संघ के संस्थानों के नेटवर्क के द्वारा किया जाएगा। राज्य एक मुख्य विद्यालय नेतृत्व विकास दल का गठन करेगा जिसे राज्य संसाधन समूह के रूप में जाना जाएगा। प्रत्येक राज्य संसाधन समूह राज्य विशिष्ट कार्यक्रम और सामग्री विकसित करेगा और एन सी एस एल, न्यूपा के साथ मिलकर नेतृत्व अकादमी की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण विशेषज्ञों का दल गठित करेगा। नेतृत्व अकादमियां और राज्य संसाधन समूह राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र की गतिविधियों का समर्थन करेंगे। इस प्रकार से विकसित कार्यक्रम से सभी राज्यों में पेशेवर अधिगम समुदाय पैदा होंगे जो विचार मंच (सिम्पोजिया), वेबीनार और मॉड्यूलर पाठ्यक्रमों के माध्यम से सतत् पेशेवर विकास के लिए एन सी एस एल, न्यूपा के साथ एक नेटवर्क से जुड़ेंगे और इससे पेशेवर संस्थानों और समुदायों का एक विशाल नेटवर्क स्थापित होगा।

विद्यालय नेतृत्व कार्यक्रम का उपागम

एन सी एस एल, एक ऐसे लचीले कार्यक्रम की रूपरेखा अभिकल्पित करता है जो नेतृत्व विकास के ज़रिए देशभर के विद्यालयों की विविधता को संबोधित कर सकता है। सभी प्रकार के छोटे–बड़े, प्रारंभिक से लेकर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक तक के अनेक प्रकार के प्रबंधन के अधीन कार्यरत और विविध भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों को समाहित करते हुए इस कार्यक्रम का विकास किया गया है। यह कार्यक्रम शिक्षा के अधिकार आधारित उपागम के संदर्भ में विशेष महत्व रखता है। एन सी एस एल ने संक्रियात्मक गतिविधियों के द्वारा नेतृत्व विकास कार्यक्रम की अभिकल्पना की है। इसके चार घटक हैं– पाठ्यचर्या और सामग्री विकास, क्षमता विकास, नेटवर्क और संस्था विकास, और शोध एवं विकास।

पाठ्यचर्या और सामग्री विकास, राज्य संसाधन समूह और विद्यालय नेतृत्व की क्षमता विकास हेतु मज़बूत आधार प्रदान करेगा। नेटवर्क और शोध को समानांतर कार्य माना गया है जिसके द्वारा नेतृत्व विकास की प्रक्रिया के विकास, संचालन और अध्ययन के संसाधन के लिए व्यक्ति और विद्यालय नेतृत्वकर्ता एक जुट होंगे। इन प्रमुख कार्य क्षेत्रों के बीच परस्पर निर्भरता को ध्यान में रखते हुए केंद्र के कार्यक्रम की गतिविधियों को इस प्रकार से निरूपित किया गया है जिससे कि पाठ्यचर्या विकास, क्षेत्र परीक्षण, समीक्षा और प्रतिपुष्टि के बीच तारतम्यता और सामंजस्य सुनिश्चित किया जा सके। इससे नए ज्ञान के सृजन, निरूपण, कार्यक्रमों का विकास एवं नियोजन, सामग्री विकास और ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के अनुकूल कार्य योजनाएं बनाने में और विद्यालय नेतृत्व के उभरते पेशेवर और जिज्ञासु समुदायों को समर्थन देने में मदद मिलेगी।

घटक 1: पाठ्यचर्या और सामग्री विकास

विद्यालय नेतृत्व की पाठ्यचर्या का ढांचा एक बोधगम्य और लचीलापूर्ण दस्तावेज़ है, जिसमें 21 वीं सदी के विद्यालयों और उनकी चुनौतियों के संदर्भ में विद्यालय नेतृत्व की बदलती भूमिकाएं प्रतिबिंबित होती हैं। पाठ्यचर्या की रूपरेखा विद्यालय नेतृत्व की अवधारणाओं और कार्यव्यवहारों से संबंधित प्रारम्भ में छः मुख्य क्षेत्रों को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी। यह दस्तावेज़ राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों और इस क्षेत्र में कार्यरत शिक्षाकर्मियों के साथ विचार–विमर्श के बाद तैयार किया गया है। वर्ष 2013–2014 में आठ राज्यों के राज्य

संसाधन समूहों के सदस्यों ने इस दस्तावेज़ को पुनरीक्षित किया और विद्यालय प्रमुखों तथा ज़मीनी स्तर की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सरल बनाया। इस संशोधित प्रकाशन की एक नई विशेषता है मुख्य क्षेत्र 7 'विद्यालय प्रशासन का नेतृत्व', जिसे वर्ष 2014–15 मे विभिन्न राज्यों में चलाए जा रहे संसाधन समूह अथवा विद्यालय प्रमुखों की कार्यशालाओं मे दी गयी प्रतिपुष्टि के आधार पर जोड़ा गया है।

भारतीय विद्यालय प्रणाली की समृद्ध विविधता को स्वीकारते हुए इस पाठ्यचर्या ढांचे को विभिन्न राज्यों के बदलते संदर्भों के अनुसार अनुकूलन किया जा सकता है।

उद्देश्य

- पाठ्यचर्या का विकास करना और मौजूदा तथा भावी विद्यालय नेतृत्वकर्ता के लिए आवश्यकता आधारित एवं सुनियोजित कार्यक्रमों का आयोजन करना
- विद्यालय नेतृत्व के लिए सामग्री और संसाधनों का संग्रह तैयार करना
- विविध विद्यालय संदर्भों के लिए अधिगम सामग्री विकसित करना और विभिन्न स्थितियों में प्रयोग के लिए उन्हें कार्यात्मक बनाना

घटक 2: क्षमता विकास

क्षमता विकास का यह घटक प्रारंभिक रूप से विद्यालय नेतृत्वकर्ता के नेतृत्व विकास पर बल देता है। यह एक समय अवधि में सुनियोजित और प्रणालीबद्ध तरीके से सभी राज्य, ज़िला, ब्लॉक और संकुल स्तर को इस कार्यक्रम में शामिल कर नेतृत्व दल की क्षमता विकास करने का प्रयास करता है। इस पाठ्यचर्या ढांचे में विकसित मुख्य क्षेत्रों के अनुसार, क्षमता विकास कार्यक्रम की रूपरेखा और विषय वस्तु को तैयार किया जाएगा जिसे सरल एवं सुगम वातावरण में आवश्यकता आधारित कार्यक्रमों के द्वारा सम्पादित किया जाएगा। इसमें उपयुक्त सामग्री और कार्याभ्यास के ज़रिए प्रशिक्षण प्रदान करने पर बल दिया जाएगा जिससे वे जो ज्ञान और कौशल अर्जित करते हैं उसका व्यवहारिक उपयोग करने में सक्षम हो सकें। यह कार्यक्रम देशभर में लक्ष्य और मुद्दा विशिष्ट ज़रूरतों के आधार पर अल्पावधि और दीर्घकालिक मॉड्यूलर पाठ्यक्रमों के द्वारा चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यालय सुधार प्रक्रियाओं को निरंतर ज़ारी रखने के लिए विद्यालय नेतृत्व क्षमता का विकास करना है साथ ही नेतृत्व विकास के लिए आवश्यकता आधारित कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने

और उसे कार्यान्वित करने के लिए राज्य तथा ज़िला स्तर के संकाय का क्षमता विकास करना है, जो व्यक्तियों को चिंतन के नए ढंग और सोच की ओर सक्रिय बनाने में मदद करे।

उद्देश्य

- विद्यालय नेतृत्व की मौजूदा कार्यात्मक प्रबंधक की भूमिका से एक सक्रिय और नवाचारी नेतृत्व की भूमिका में रूपांतरित करने की समझ में बदलाव लाने हेतु सक्षम बनाना
- राज्यों और संघ क्षेत्रों में नेतृत्व विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण विशेषज्ञों का दल तैयार करना
- शिक्षण–अधिगम, वैयक्तिक और पेशेवर विकास, विद्यालय प्रणाली प्रक्रिया में नवाचार, साझेदारी के क्षेत्रों में और विद्यालय प्रशासन में विद्यालय प्रमुखों की क्षमता का विकास करना
- विद्यालय गुणवत्ता में संवर्धन के लिए स्थानीय नेतृत्व (एस एम सी, एस डी एम सी, वी ई सी, पी टी ए, एम टी ए) और शिक्षा व्यवस्था के नेतृत्व का सशक्तिकरण करना

कार्यक्रम के कार्यान्वयन की जवाबदेही राज्यों की होगी। एन सी एस एल उन्हें समुचित मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करेगा। प्रक्रिया आधारित सामग्री के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाऐगा जिसमें अपेक्षित ज्ञान और कौशल के साथ कार्याभ्यास पर विशेष बल दिया जाएगा। पाठ्यचर्या के ढांचे और सामग्री के संदर्भीकरण तथा अनुकूलन के प्रावधान होंगे। प्रत्येक राज्य के उल्लेखनीय नेतृत्व कार्यव्यवहारों का केस अध्ययन के रूप में अनुलेख तैयार किया जाएगा और राज्य द्वारा चिन्हित ज़िलों, संकुलों तथा स्थलों में क्षमता विकास प्रशिक्षण के दौरान इनका सामग्री के रूप में उपयोग किया जाएगा।

क्षमता विकास कार्यक्रम, विद्यालय नेतृत्व विकास के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाएगा जिसमें सुगमकर्ता और राज्य संसाधन समूह के चुनिंदा सदस्य व अन्य विशेषज्ञों द्वारा विद्यालय प्रमुखों का कार्यस्थल पर मार्गदर्शन किया जाएगा।

घटक 3: नेटवर्क और संस्थानिक निर्माण

एन सी एस एल, देश के सभी राज्यों में प्रत्येक बच्चे के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक राज्य के अंदर संस्थाओं, पेशेवरों तथा विशेषज्ञों के नेटवर्क के ज़रिए राज्यों के साथ दीर्घकालीन सहभागिता की परिकल्पना करता है। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय को विद्यालय नेतृत्व की रूपांतरकारी कार्यसूची को कारगर बनाने हेतु प्रयास करने होंगे। इसी क्रम में एन सी एस एल के स्तर पर यह कार्यक्रम सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के पेशेवर संस्थानों के साथ साझेदारी करेगा जो उन राज्य में विद्यालय नेतृत्व के क्षेत्र में पहले से कार्यरत हैं या कार्य करने का इरादा रखते हैं। इनके साथ संसाधन संस्थान और राज्य, ज़िला, ब्लॉक तथा संकुल स्तरों के अधिकारिक संगठन भी होंगे जो विद्यालय नेतृत्व विकास के संस्थानों के प्रणालीबद्ध क्षमता विकास की दिशा में अग्रसर हैं।

यह केंद्र प्रत्येक राज्य में राज्य संसाधन समूह, चुनिंदा ज़िलों में स्थित मुख्य संस्थानों और एक नोडल संस्थान के द्वारा कार्य परिचालन की परिकल्पना करता है। यह परिकल्पना भी की गई है कि राज्य स्तर पर अन्य प्रमुख संस्थानों के साथ नोडल संस्थान को नेतृत्व अकादमी के रूप में रूपांतरित किया जाएगा। नेतृत्व अकादमी राष्ट्रीय केंद्र के विस्तार के रूप में कार्य करेगी। नेतृत्व अकादमी, कार्यक्रम की ज़रूरतों और समुचित संस्थानों की उपलब्धता के अनुसार ज़िला और ब्लॉक स्तरों पर संस्थानों के नेटवर्क के द्वारा सीधे तौर पर कार्य करेगी। इसलिए प्रत्येक राज्य में नेतृत्व अकादमी और राज्य संसाधन समूह के दल गठित करने का प्रस्ताव किया जाता है।

उद्देश्य

- राज्य सरकारों के परामर्श से नेतृत्व अकादमियों की स्थापना करना और एन सी एस एल और नेतृत्व अकादमियों के बीच सहकार्य संस्कृति की भावना का विकास करना
- विद्यालय नेतृत्व और संकुल, ब्लॉक तथा ज़िला स्तरों (सी आर पी, बी आर सी, डी ई ओ) पर ज़मीनी स्तर के प्रशासकों के साथ–साथ एस एम सी और अन्य समुदाय सदस्यों के बीच संबंध स्थापित करना
- देश में नेतृत्व विकास के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए सामूहिक अधिगम अनुभव अर्जित करने के उद्देश्य से ज़िला, राज्य और प्रदेश में विद्यालय नेतृत्व का पेशेवर अधिगम समुदाय बनाना

एन सी एस एल, नेटवर्क बनाने और नेतृत्व अकादिमियों की स्थापना हेतु राज्य सरकारों तथा अन्य संस्थानों के साथ संवाद और परिसंवाद की पहल करने में अहम भूमिका अदा करेगा। राज्य के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित किसी एक चुनिंदा संस्थान में नेतृत्व आकादमी की स्थापना की जाएगी। ये अकादमियां राज्य सरकारों के शिक्षा विभागों और संपूर्ण राज्य संसाधन समूह के सहयोग से कार्य करेंगी। नेतृत्व अकादमी को उसके अपने सदस्य या स्थानीय विशेषज्ञों/विद्यालय प्रमुखों के समूह, स्वयं सेवक, सेवानिवृत विद्यालय प्रमुखों या समुदाय के वे सदस्य मदद करेंगे जो पेशेवर संवाद के ज़रिए विद्यालय विकास के कार्यों में निरंतर संलग्न हैं। पेशेवर रूप से अनुक्रिया करने वाले ऐसे समुदाय, संकुल, ब्लॉक और ज़िला स्तर पर उत्कृष्ट कार्य व्यवहारों, अनुभवों तथा ज्ञान के परस्पर आदान–प्रदान एवं साझेदारी के लिए पेशेवर अधिगम समुदाय बनाने हेतु एक दूसरे से नेटवर्क द्वारा जुड़ेंगे। आगे चलकर जब संभव होगा ज़िला, राज्य और प्रदेश स्तर के साथ–साथ केंद्र स्तर पर पेशेवर अधिगम समुदाय का नेटवर्क बनाया जाएगा।

घटक–4 शोध और विकास

विद्यालय नेतृत्व के क्षेत्र में पाठ्यचर्या के विकास और विद्यालय आधारित रूपांतरण को सूचनाओं से सवंर्धित करने के लिए गहरी समझ और नए ज्ञान के सृजन के लिए शोध और विकास की आवश्यकता है। यह केंद्र शोध अध्ययन करने के लिए संस्थानों और अन्य दूसरे शोध संगठनों के साथ–साथ आत्मनिर्भर विशेषज्ञों से भी सहयोगिक संबंध स्थापित करेगा।

उद्देश्य

- उत्कृष्ट नेतृत्व कार्य व्यवहारों का संग्रह, अनुलेखन और उनका प्रचार–प्रसार करना
- भारतीय संदर्भ में विद्यालय नेतृत्व विकास के क्षेत्र में नए ज्ञान के सृजन में योगदान करना

प्रस्तुत पाठ्यचर्या का ढ़ांचा और हस्तपुस्तिका, समस्त नेतृत्व विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में मार्ग दर्शन प्रदान करेंगे। आगे के खण्ड में पाठ्यचर्या ढांचे का विवरण दिया गया है।

विद्यालय नेतृत्व विकास के लिए पाठ्यचर्या का ढांचा

राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र ने अपने मूल कार्य के अंतर्गत विद्यालय नेतृत्व विकास हेतु पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की है। यह पाठ्यचर्या विद्यालय नेतृत्व के लिये उन लोगों को मान्यता प्रदान करती है जो विद्यालय रूपांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार उत्तरदायित्व के साथ प्रत्येक समस्या को चुनौती के रूप में स्वीकारते हुये इसका मुख्य उद्देश्य विद्यालय नेतृत्वकर्ता को ज्ञान, कौशल तथा आत्मविश्वास से सशक्त करना है जिससे कि उनका रवैया ''हां, मैं कर सकता हूँ तथा करूंगा'' में परिवर्तित हो और बढ़ावा दे ''हम कर सकते हैं तथा हम करेगें'' की भावना को तथा यह सुनिशिचित करने के लिए कि 'प्रत्येक बच्चा सीखे तथा प्रत्येक विद्यालय उत्कृष्ट हो'। विद्यालय नेतृत्वकर्ता अपने आप पर विश्वास कर सकें, अपने व्यक्तित्व और व्यवसायिक कौशल में विकास कर पाएँ, सहकर्मी अध्यापकों के अध्यापन तथा अधिगम रणनीति में सुधार ला सकें, बाल–अधिकारों के प्रति अवगत रहें एवं हितधारकों के साथ प्रभावी साझेदारी बना सकें, इसी परिप्रेक्ष्य में विद्यालय नेतृत्व विकास पाठ्यचर्या को तैयार किया गया है।

व्यापक लक्ष्य

छात्र अधिगम में बढ़ोत्तरी और विकास पर ध्यान देते हुए विद्यालयों के रूपांतरण हेतु विद्यालय प्रमुखों को सक्षम बनाना।

मार्गदर्शी सिद्धांत

पाठ्यचर्या की रूपरेखा में यह माना गया है कि सभी विद्यालय प्रमुख अपने व्यवसाय में लगातार आगे बढ़ने और उत्कृष्टता प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। वयस्क अलग तरीके से सीखते हैं। अतः अधिगम सामग्री समुचित रूप से तैयार की जानी चाहिए, जिसकी भाषा सरल और सुबोध हो ताकि इसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी आसानी से अनुवाद किया जा सके। विद्यालय प्रमुख अपनी शिक्षण शैली और लय के अनुरूप सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। यद्यपि पाठ्यचर्या की रूपरेखा स्थापित सैद्धांतिक नियमों पर विकसित की गई है, परंतु उसकी विषयवस्तु और निर्माण प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिसे विद्यालय नेतृत्व द्वारा अपने कार्य–व्यवहार में गहराई से अपनाई जा सके। यह रूपरेखा इस समझ के आधार पर बनाई गई है जिससे कि विद्यालय प्रशासकों, समुदाय तथा अध्यापकों के साथ विद्यालय प्रमुखों का संवाद गतिशील तथा सतत् विकासशील बन सके।

पाठ्यचर्या का कार्यान्वयन

पाठ्यचर्या के शिक्षण में विद्यालय प्रमुखों के क्षमता संवर्धन हेतु पाठ्यचर्या में प्रतिभागिता विधि अपनाई जा रही है। पाठ्यचर्या की शिक्षण प्रक्रिया में प्रायोगिक अधिगम, परामर्श, आलोचनात्मक प्रतिक्रिया तथा ज़मीनी स्तर के कार्य शामिल किए जाएंगे। इसे विद्यालय नेतृत्व और प्रेरकों के वास्तविक कार्य अनुभवों को निकट लाने, अद्यतन बनाने और तदनुसार निखारने हेतु निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है।

मुख्य क्षेत्र

पाठ्यचर्या की रूपरेखा के सात प्रमुख क्षेत्र हैं जो प्रारंभिक व माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय नेतृत्व विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु आवश्यक विभिन्न घटकों पर आधारित हैं। इसके प्रमुख क्षेत्रों में उद्देश्यों और क्षेत्र की विषयवस्तु को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है जो कि विद्यालय नेतृत्व के व्यवसायिक विकास और विद्यालय रूपांतरण के लिए आवश्यक है।

लक्ष्य की प्राप्ति में विद्यालय रूपांतरण और विद्यालय प्रमुख की महत्वपूर्ण भूमिका की समग्र दृष्टि को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त सात मुख्य क्षेत्र एक–दूसरे से संबद्ध हैं। पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार विद्यालय एक अधिगम संगठन है जो बच्चों का सक्रिय रूप से शैक्षिक पोषण करता है और उनके समग्र विकास और संवर्धन हेतु सुविधाएं प्रदान करता है। पाठ्यचर्या की विधि, विद्यालय प्रमुखों में स्वयं की सकारात्मक अवधारणा एवं समानता तथा गैर भेदभाव के मूल्यों को आंतरिक कर एक प्रभावकारी अभिकर्ता बनने के लिए प्रोत्साहित करती है।

भारत में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में विद्यालय कार्य कर रहे हैं। यह रूपरेखा विशेष आवश्यकता वाले क्षेत्रों के विद्यालयों जैसे कि पर्वतीय, रेगिस्तान और जनजातीय क्षेत्र, भारी वर्षा और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, सामाजिक संघर्ष वाले क्षेत्र अथवा प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं से पीड़ित क्षेत्रों को भी संबोधित करती है जिनकी विशिष्ट चुनौतियों को समझा जा सके और उनका समाधान किया जा सके। साथ ही, छोटे और बहुश्रेणी विद्यालयों के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

मुख्य क्षेत्र 1: विद्यालय नेतृत्व का दृष्टिकोण

यह नेतृत्व की समझ और उसके विद्यालय रूपांतरण पर पड़ने वाले प्रभाव की समझ को विकसित करने का प्रयास करता है। यह विद्यालय के प्रति एक वैचारिक समझ को विकसित करता है जहां एक अधिगम संगठन के रूप में बच्चों के विकास को बढ़ावा मिले तथा निरंतर प्रयोग के अवसर प्राप्त हों। यह परिवर्तन और विद्यालय के रूपांतरण के लिए एक विज़न को विकसित करने पर बल देता है।

उद्देश्य

- विद्यालय नेतृत्व को समझना और परिवर्तन तथा सुधार के लिए एक दृष्टिकोण का निर्माण करना

यूनिट 1: एक अधिगम संगठन के रूप में विद्यालय

- एक सामाजिक संस्था के रूप में विद्यालय
- एक संगठन के रूप में विद्यालय की गतिशील प्रकृति
- विद्यालय में पारस्परिक प्रक्रियाएं
- अधिगम और विकास के आधार के रूप में विद्यालय

यूनिट 2: विद्यालय नेतृत्वः बहुआयामी भूमिकाएं तथा पहचान

- एक दूरदर्शी के रूप में नेतृत्वकर्ता
- परिवर्तन के सृजक के रूप में नेतृत्वकर्ता
- दृढ़, प्रेरक, जन केंद्रित और एक आजीवन अधिगमकर्ता के रूप में नेतृत्व
- एक चिंतनशील कार्यकर्ता के रूप में नेतृत्व
- विद्यालय प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए नेतृत्व का महत्व

यूनिट 3: विद्यालय के लिए विज़न का निर्माण

- विद्यालय रूपांतरण के लिए विज़न
- संदर्भ और बाधाओं को समझना तथा आंकलन करना
- विद्यालय विकास योजना के माध्यम से विज़न में रूपांतरण
- सामयिक समीक्षा और संशोधन के माध्यम से परिवर्तन को समझना

यूनिट 4: रूपांतरण को समझना

- विद्यालय रूपांतरण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत : समावेशन, समता तथा गुणवत्ता
- सामूहिकता के रूप में विद्यालय : विद्यालय में बदलाव के लिए विचार, क्षमता और लक्ष्य
- स्वयं में बदलाव की गतिकी : रवैया और कार्य, सोच और उसका प्रतिबिंबन, अभिभावकों, अध्यापकों तथा समुदाय के सदस्यों के साथ संवाद
- परिवर्तन का सामना करना : प्रतिरोधों का सामना तथा अवसरों का सृजन

यूनिट 5: सर्वोपरि बच्चे

- बचपन को समझना
- बच्चों का समग्र विकास
- विद्यालय में बच्चों का अधिकार
- समानता, गैर–भेदभाव और सभी के लिए सम्मान को कार्य–व्यवहार में लाना
- एक सुरक्षित और सुदृढ़ स्थल के रूप में विद्यालय

यूनिट 6: कार्य–लोकाचार में रूपांतरण

- लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसकी ओर बढ़ना
- विभिन्न दृष्टिकोणों को स्वीकारना और समायोजित करना
- सार्थक बातचीत के लिए प्रक्रियाओं का निर्माण
- परिवर्तन और सुधार के लिए तैयार रहना
- साझी प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देना

मुख्य क्षेत्र 2: स्वयं का विकास

इस मुख्य क्षेत्र का बल क्षमताओं, रवैयों और मूल्यों के संदर्भ में एक सकारात्मक स्व–अवधारणा को विकसित करना है, एवं चिंतनशील बातचीत के द्वारा आत्म–सुधार के क्षेत्रों पर बल देना है। इसके साथ–साथ स्वयं और दूसरों के सतत् अधिगम और विकास के लिए अवसर तथा प्रयोजन सृजित करने में विद्यालय नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देना है।

उद्देश्य

- दूसरों एवं विद्यालय के संदर्भ में स्वयं को समझना व स्वयं का विकास

यूनिट 1: स्वयं को समझना

- स्वयं की समझ : एक व्यक्ति और एक पेशेवर के रूप में
- कार्य–जीवन के अर्थ और उद्देश्य को समझना
- सकारात्मक आत्म–अवधारणा और आत्म–सम्मान का विकास

यूनिट 2: दूसरों के संदर्भ में स्वयं

- विद्यालय के सामाजिक संदर्भ में स्वयं की भूमिका को समझना
- परस्पर विरोधी उम्मीदों तथा बहुआयामी भूमिकाओं के परिप्रेक्ष्य से निपटना
- प्रभाव और सरोकार का चक्र

यूनिट 3: विद्यालय के संदर्भ में स्वयं

- आत्म–विकास और संस्थागत लक्ष्यों के बीच अभिसरण
- विद्यालय के कामकाज के संबंध में एक से अधिक भूमिकाएं
- व्यवसायिक लक्ष्यों और तरीकों के मिलान पर चिंतन

यूनिट 4: स्वयं का पेशेवर विकास

- लोगों के साथ कार्य तथा संबंध
- सामाजिक अधिगम और एक साथ आगे बढ़ने के रूप में विद्यालय
- सामूहिक ज़िम्मेदारी की भावना का निर्माण : सामाजिक और नैतिक

मुख्य क्षेत्र 3: शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया का रूपांतरण

यह मुख्य क्षेत्र शिक्षण–अधिगम रूपांतरण हेतु नेतृत्वकर्ता की क्षमता विकास पर बल देता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विद्यालय में अन्वेषण और सृजनात्मकता के लिए जगह बनाना व कक्षा की प्रक्रियाओं को अधिक सृजनात्मक और बाल केंद्रित बनाना है।

उद्देश्य

- शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया को बाल केंद्रित सृजनात्मक कार्य में बदलना

यूनिट 1: विद्यालय तथा शिक्षा का उद्देश्य

- पूछताछ की भावना को बढ़ावा देना
- आलोचनात्मक चिंतन के लिए शिक्षा
- सशक्तीकरण के लिए शिक्षा
- नागरिकों में ज़िम्मेदारी का विकास करना

यूनिट 2: बच्चों पर केंद्रित शिक्षण शास्त्र को समझना

- बढ़ते हुए बच्चे की अधिगम और विकास संबंधी आवश्यकताएं
- ज्ञान के निर्माता और एक सक्रिय शिक्षार्थी के रूप में बच्चा
- शिक्षक एवं शिक्षार्थी के लिए अधिगम को आनंददायक एवं रचनात्मक अनुभव बनाना
- शिक्षक और शिक्षार्थी के द्वारा एक संयुक्त अन्वेषण के रूप में शिक्षण–अधिगम
- एक विविध सामाजिक–सांस्कृतिक समावेशी व्यवस्था में अधिगम

यूनिट 3: अनुकूल शिक्षण–अधिगम परिस्थितियों का सृजन

- विद्यालय और कक्षा का जीवंत तथा आकर्षक परिवेश
- कक्षा में स्थान तथा सामग्री का सृजनात्मक संगठन
- सक्रिय अधिगम के लिये अवसरों का सुदृढ़ीकरण
- समावेशी परिवेश: आपसी सम्मान, सहिष्णुता तथा आम पहचान की भावना
- कक्षाओं में सुरक्षित और देखभाल युक्त परिवेश

यूनिट 4: कक्षा प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाना

- अवलोकन, प्रतिपुष्टि और पर्यवेक्षण
- बच्चों के साथ संपर्क तथा प्रत्येक बच्चे की प्रगति पर नज़र रखना
- कक्षा गतिविधियों में सुधार हेतु सहयोगात्मक व्यवहार
- कोचिंग एंव मेन्टरिंग
- शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में तकनीक को बढ़ावा देना
- अन्वेषण तथा प्रयोग करने की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना

यूनिट 5: पेशेवर के रूप में शिक्षक का विकास

- शिक्षक : विद्यालय रूपांतरण की कुंजी
- शिक्षक नेतृत्व को बढ़ावा देना
- चिंतनशील कार्यकर्ता के रूप में शिक्षक
- कक्षा के अंदर और बाहर शिक्षक–छात्र संवाद को सुगम बनाना
- शिक्षकों के मुद्दों और सरोकारों का निराकरण
- शिक्षकों के व्यवसायिक विकास को बढ़ावा देना

यूनिट 6: समृद्ध शिक्षण अधिगम प्रक्रिया : कक्षा के अलावा

- माता–पिता के माध्यम से बच्चों को समझना
- बच्चों के सीखने में घर का सहयोग
- समुदायिक ज्ञान और सृजनात्मकता के माध्यम से विद्यालय अनुभव को समृद्ध बनाना
- माता–पिता और शिक्षकों के बीच प्रतिपुष्टि चक्र को मज़बूत बनाना : विद्यालय के अनुभव और अधिगम
- सीखने के लिए आस–पड़ोस का परिवेश

मुख्य क्षेत्र 4: दल बनाना तथा दल का नेतृत्व करना

यह मुख्य क्षेत्र प्रभावी दलों का निर्माण करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक कौशल को संबोधित करता है। यह सामूहिक गतिशीलता, सहयोग की प्रक्रियाओं, दल–कार्य, संघर्ष समाधान, दल के सदस्यों के व्यवसायिक विकास हेतु अवसरों के सृजन के विकल्प पर बल देता है।

उद्देश्य

- सहयोग को सुविधाजनक बनाना और दल में कार्य करना

यूनिट 1: दलों का निर्माण

- दल के सदस्यों की शक्तियों और क्षमताओं को समझना
- समूह की सक्रियता का अध्ययन
- सहयोग और साझेदारी के लिए प्रक्रियाओं का निर्माण
- उत्तरदायित्वों और क्षमताओं का मिलान

यूनिट 2: दल कार्य को बढ़ावा देना

- मिलकर योजना बनाना
- व्यवसायिक चर्चा और बातचीत को बढ़ावा देना
- मिलकर कार्य करना
- गहन सृजनात्मक विचारों के लिए स्टाफ की बैठकें
- समीक्षा और प्रतिक्रिया तंत्र को बढ़ावा देना

यूनिट 3: दल के नेतृत्वकर्ता होने के नाते

- प्रभावी दल–कार्य के लिए अवसरों का सृजन
- दल के लिए प्रभावी संचार प्रक्रियाओं की स्थापना
- दल में निर्णय प्रक्रिया
- दलों के माध्यम से कार्य निष्पादन
- संघर्ष समाधान

मुख्य क्षेत्र 5 : नवाचारों का नेतृत्व

यह मुख्य क्षेत्र सतत् परिवर्तन और नवाचार के माध्यम से विद्यालय के ढांचे और कार्यक्रमों को बदलने का प्रयास करता है। इसका केंद्र बिंदु परिस्थियाँ, प्रणालीयाँ, संरचनाएँ तथा सामूहिक प्रयासों के माध्यम से नए विचारों और कार्यों एवं नवाचार की संस्कृति के निर्माण की प्रक्रिया के सृजन पर है।

उद्देश्य

- नवाचारी कार्य द्वारा रूपांतरण को सुविधाजनक बनाना

यूनिट 1: नवाचार–अधिगम संगठन का केंद्र बिंदु

- विद्यालय प्रमुख– नवाचारों के लिए मुख्य प्रेरणा स्रोत
- नए विचारों की खोज के लिए–संवाद और विचार–मंथन
- नवाचार : विद्यालय में सुधार के लिए अति महत्वपूर्ण
- नियामक ढांचे से परे खोज

यूनिट 2: विद्यालय में नवाचार की एक संस्कृति का निर्माण

- नवाचार के लिए पहल : प्रयोगों और अनुसंधान को बढ़ावा देना
- पर्याप्त संसाधनों तथा अकादमिक समर्थन को सुनिश्चित करना
- व्यक्तित्व का सम्मान और विभिन्न दृष्टिकोणों का समायोजन
- परिवर्तन को समझना और परिवर्तन के विरूद्ध प्रतिरोध को संबोधित करना
- नये विचारों और कार्यों के लिए पुरस्कार और मान्यता
- विद्यालय में नवाचारों की पहचान और उनका दस्तावेज़ीकरण

यूनिट 3: नवाचारों के माध्यम से विद्यालयों की पुनर्कल्पना

- विद्यालय स्तर पर नवाचार : पाठ्यचर्या के संगठन में परिवर्तन, वार्षिक कैलेण्डर, कार्य विभाजन, बजट, दोपहर का भोजन, वित्त प्रबंधन तथा धन जुटाना, वर्तमान संसाधनों का इष्टत्म उपयोग, वार्षिक कार्यक्रमों का आयोजन, समुदायिक बैठकों तथा स्टाफ बैठकों का आयोजन
- कक्षा स्तर पर नवाचार : अध्यापन–अधिगम प्रक्रिया, कक्षा संगठन, समय–सारणी तथा कक्षा प्रंबधन में सुधार
- नवाचारक के रूप में छात्र, अध्यापक तथा समुदाय

मुख्य क्षेत्र 6: साझेदारियों का नेतृत्व

विद्यालय रूपांतरण के अंतर्गत विद्यालय के अंदर और बाहर के लोगों के साथ साझेदारियों का निर्माण सम्मिलित है। यह महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा विभाग के अधिकारियों, समुदाय सदस्यों, विद्यालय तथा अभिभावकों तथा अन्य विद्यालयों के बीच सार्थक संबंधों के विकास की आवश्यकता पर बल देता है। इसका उद्देश्य कई हितधारकों के साथ साझेदारी स्थापित करने हेतु विद्यालय नेतृत्वकर्ताओं को कौशल युक्त अवसर प्रदान करने के लिए सक्षम बनाना है।

उद्देश्य

- विद्यालय के रूपांतरण हेतु अभिभावकों, समुदाय तथा शिक्षा पदाधिकारियों के साथ साझेदारियों को सुगम बनाना

यूनिट 1: घर–विद्यालय साझेदारी

- घर–विद्यालय संवाद हेतु परिवेश का निर्माण
- शिक्षकों और अभिभावकों की संयुक्त ज़िम्मेदारी के रूप में अधिगम और विकास
- माता–पिता तथा शिक्षकों के भिन्न विचारों तथा उम्मीदों से समझौता करना
- विद्यालय प्रबंधन में अभिभावकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना
- अभिभावकों के अधिगम हेतु एक मंच के रूप में विद्यालय

यूनिट 2: समुदाय के साथ कार्य

- विद्यालय–समुदाय रिश्ते को समझना
- विद्यालय में सामुदायिक भागीदारी के लिए परिवेश का निर्माण
- विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा सामुदायिक भागीदारी का संस्थानीकरण
- विद्यालय विकास योजना में समुदाय की भागीदारी
- समुदाय के लिए एक सामाजिक अधिगम क्षेत्र के रूप में विद्यालय
- स्थानीय नेतृत्व के साथ आपसी समझ और सम्मान के साथ कार्य करना

यूनिट 3: व्यवस्था के साथ कार्य करना

- शिक्षा व्यवस्था के भाग के रूप में विद्यालय
- शैक्षिक प्रशासकों के साथ कारगर ढंग से बातचीत
- प्रणाली स्तर की आवश्यकता के साथ विद्यालय के विकास की मांग को संतुलित बनाना
- स्थानीय संसाधन समर्थन संस्थानों के साथ जुड़ाव
- विद्यालय समुदायों के बीच साझेदारी, अनुकूलन, भागीदारी एवं सर्वोत्तम अभ्यासों का आदान–प्रदान

मुख्य क्षेत्र 7: विद्यालय प्रशासन का नेतृत्व

यह प्रमुख क्षेत्र विद्यालय के प्रशासन और वित्त के क्षेत्र में नेतृत्वकारी भूमिका पर बल देता है। यह संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रशासनिक नियमों और दिशा–निर्देशों को विद्यालय प्रमुखों को समझने में मदद करता है और साथ ही धन के सदुपयोग, विद्यायल वित्त और बजट की एक समझ को विकसित करने का प्रयास करता है। विद्यालय का नेतृत्व करते हुए भौतिक और मानव संसाधनों का प्रबंधन महत्वपूर्ण है और यह प्रमुख क्षेत्र प्रभावी ढ़ंग से संसाधनों से निपटने हेतु विभिन्न आयामों की छान–बीन करता है। विद्यालय आंकड़ा आधार प्रणाली के निर्माण का प्रयास करते हुये, सूचना के आधार पर बेहतर निर्णय लेने हेतु यह प्रमुख क्षेत्र और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

उद्देश्य

- प्रभावी प्रशासन, वित्त– नियमन, संसाधनों का प्रबंधन और आंकड़ा आधारित निर्णय लेने के लिए विद्यालय प्रमुखों के बीच ज्ञान और कौशल का विकास

यूनिट 1: विद्यालय प्रशासन को समझना

- विद्यालय रुपांतरण के संदर्भ में विद्यालय प्रमुखों की भूमिका
- विद्यालय प्रमुख, अध्यापक तथा स्टाफ के संदर्भ में विद्यालय अधिनियम विभिन्न नियमों (आचरण, सेवाएं, अवकाश तथा पेंशन) की जानकारी
- राज्य की नीतियों, योजनाओं तथा परियोजनाओं की विशेषताओं, मानदण्ड तथा दिशा– निर्देशों को समझना और विद्यालय स्तर पर उनका उचित निष्पादन
- संबंधित अधिकारियों के साथ संवाद स्थापित करने हेतु विभिन्न मुद्दों पर टिप्पण, लेखन तथा फाइल पंक्ति करने की प्रक्रिया को समझना
- अध्यापकों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ए.सी.आर.)/वार्शिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (ए. पी. ए. आर.)
- अध्यापकों, छात्रों तथा कर्मचारियों के सहयोग से विद्यालय स्तर की योजना के क्रियान्वयन हेतु एक जवाबदेह प्रणाली का निर्माण

यूनिट 2: विद्यालय वित्त

- वित्तीय तथा संसाधन प्रबंधन का महत्व
- बजट और लेखा उपकरणों की जानकारी
- वित्तीय मामलों के संदर्भ में स्वायतत्ता और धन के सदुपयोग हेतु मानदण्ड
- पेंशन लेखा, बकाया निर्धारण और वेतन इत्यादि के रुप में कर्मचारियों के लाभों के बारे में वित्तीय प्रक्रियाओं को समझना
- बिल (वेतन, बकाया, चिकित्सा, आकस्मिकताएं, वाउचर इत्यादि), रोकड़ पुस्तिका का रख–रखाव, लेखापरीक्षा और कराधान के संबंध में विद्यालय आधारित वित्तीय मामलों को समझना

यूनिट 3: भौतिक और मानव संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन

- विद्यालय परिवेश को खुशहाल बनाना और छात्रों को अधिगम हेतु अवसर प्रदान करना
- अच्छी तरह से सुसज्जित कक्षाओं और विद्यालय के लिये बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने हेतु विभाग और समुदाय के साथ नेटवर्क स्थापित करना
- खेल के मैदान तथा खुली जगह का विकास
- विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा हेतु सहयोगात्मक रुप से एक मॉडल विकसित करना और संसाधनों को सुरक्षित रखना
- विद्यालय प्रक्रियाओं के लिए वर्तमान मानव संसाधनों के अनुकूलन हेतु अभिनव प्रयास
- मानव संसाधन प्राप्त करने हेतु समकक्ष विद्यालयों, समुदायों तथा विभागों से संपर्क स्थापित करना
- अध्यापकों तथा कर्मचारियों के वित्तीय तथा प्रबंधन चिंताओं को साझा करते हुए उन्हें संबोधित करना

यूनिट 4 : सूचना आधारित निर्णय लेने हेतु आंकड़ा आधारित प्रबंधन प्रणाली का प्रयोग

- विद्यालय रुपांतरण हेतु सूचना आधारित निर्णय लेने में सक्षमता के लिए प्रासंगिक आंकड़ा आधार का सृजन और रख– रखाव का महत्व
- छात्र विशेषताओं और उनकी प्रगति पर नज़र रखने के लिए एक आई.सी.टी. सक्षम आंकड़ा आधार प्रणाली की स्थापना
- सफल ग्रेड प्रगति सुनिश्चित करने हेतु आवश्यकता आधारित समर्थन के लिए प्रणाली
- अध्यापकों तथा कर्मचारियों का नियमित और पहुंचनीय रिकार्ड तथा सेवा नियमों के पालन को सुनिश्चित करना
- वित्तीय आंकड़ा आधार और रिकार्ड रखना
- छात्रों, अध्यापकों तथा अभिभावकों से जुड़े मुद्दे जैसे प्रवेश, उपस्थिति, गतिविधियों का वार्षिक कैलेण्डर, पाठ्यक्रम योजना, अभिभावक – शिक्षक बैठक और उन पर कार्रवाई हेतु प्रक्रियाओं के लिए प्रणाली का गठन

विशेष क्षेत्र

भारत में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में कार्यरत विद्यालयों को देखते हुये, यह रूपरेखा राज्यों और संदर्भों के अनुसार विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट मुद्दों को खोजने और समझने पर केंद्रित है। विशेष क्षेत्र के अंतर्गत पाठ्यचर्या की रूपरेखा, इन राज्यों में व्याप्त सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक चुनौतियों के संदर्भ में विकसित की गई है। साथ ही, छोटे और बहुश्रेणी विद्यालयों के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पर बल दिया गया है।

विशेष क्षेत्र 1: जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालयों का नेतृत्व

इस विशेष क्षेत्र में सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से अन्य स्थानों से अलग आदिवासी क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए एक प्रासंगिक और सार्थक विद्यालयी अनुभव सृजित करने हेतु, विद्यालय नेतृत्व के अंतर्गत मौजूदा परिस्थितियों, आवश्यकताओं और आदिवासी इलाकों में बच्चों और समुदाय की प्रति सम्पूर्ण समझ विकसित करना है। इसको ध्यान में रखते हुए कुछ निम्नांकित विषयों को संबोधित करना आवश्यक है :

- सामाजिक–सांस्कृतिक संदर्भ को समझना जिसके अंतर्गत विद्यालय कार्य करता है।
- शिक्षकों और प्रशासकों की विद्यालय के प्रति रूढ़ियों को पहचानना व समझना।
- भाषाई विविधता के विशेष संदर्भ में आदिवासी बच्चों की ज़रूरत को समझना।
- छात्र अनुपस्थिति, प्रवास तथा शिक्षक अनुपस्थिति के संदर्भ में विद्यालय, समुदाय और परिवार से संबंधित मुद्दों को समझना।
- आदिवासी बच्चों की शिक्षण संबंधी ज़रूरतों को समझने के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य–पुस्तकें और शिक्षण–शास्त्र को प्रासंगिक बनाना।
- आदिवासी क्षेत्रों में विद्यालय–समुदाय संबंध।
- आदिवासी क्षेत्रों में आवासीय विद्यालयों का प्रबंधन तथा प्रशासन।

विशेष क्षेत्र 2: लघु तथा बहुश्रेणी विद्यालयों में शिक्षण अधिगम का नेतृत्व

इस विशेष क्षेत्र का केंद्र बिंदु एकल शिक्षक, दो शिक्षक और छोटे विद्यालयों में बहुश्रेणी शिक्षण में विद्यालय प्रमुखों द्वारा निष्पादित की गई भूमिकाओं पर है। इन विद्यालयों में शिक्षकों की अपनी भूमिका के प्रति संदर्भ, संसाधनों और समय के सदुपयोग को लेकर सीमित समझ का होना एक चुनौती है। इसलिए यह क्षेत्र बहुश्रेणी विद्यालयों में अध्ययन तथा अधिगम के संदर्भ में कारगर ढंग से निपटने के लिए अध्यापकों के मार्गदर्शन तथा

सशक्तिकरण पर बल देता है।

- स्थानीय तथा शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में विशिष्ट चुनौतियों को समझना।
- सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विविधता के प्रति एक समावेशी परिवेश का सृजन।
- पाठ्यचर्या अनुकूलन, कक्षा तथा स्तर यथोचित शिक्षण–अधिगम सामग्री में सुधार, अधिगमकर्ता के मूल्यांकन हेतु तरीके।
- छात्र प्रबंधन : छात्रों के बीच संवाद, बैठने की व्यवस्था, छात्र–देखभाल तथा समर्थन।
- समूह में सीखना : विभिन्न कक्षा स्तरों का एक साथ सीखना, सहकर्मी अधिगम तथा मिश्रित आयु के बच्चों का अधिगम।
- बहुश्रेणी व्यवस्था में छात्रों और शिक्षकों द्वारा समय का प्रभावी उपयोग।

विशेष क्षेत्र 3: संघर्ष क्षेत्रों में विद्यालयों का नेतृत्व

भारत के कई क्षेत्रों में संघर्ष और आपदाओं के कारण लोगों का दैनिक जीवन अशान्त है। इस तरह के क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है: उनमें विद्यालय के कामकाज की अनिश्चितता के साथ–साथ बच्चों और कर्मचारियों के बीच भावनात्मक आघात और डर बना रहता है। इन सभी दशाओं में विद्यालय के प्रमुख को विद्यालय के दैनिक मामले, बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित करना, सामुदायिक संबंध स्थापित करना और विद्यालय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह विशेष क्षेत्र इन चुनौतियों का समाधान करता है:

- बच्चों को अभिघात तथा डर से उबारने के लिए समर्थन प्रणाली का सृजन करना।
- कक्षा में तनावमुक्त छात्र केंद्रित वातावरण।
- किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए अभिभावकों के सहयोग से एक सुरक्षा–कवच का निर्माण।

- विद्यालय तथा बच्चों की सुरक्षा और हितों के लिए समुदाय तथा पुलिस का समर्थन प्राप्त करना।
- एक–दूसरे को स्थिति का सामना करने के लिए हिम्मत प्रदान करना तथा सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास के लिय छात्रों, अध्यापकों तथा स्टाफ को तैयार कर प्रोत्साहन एवं समर्थन प्रदान करना।
- जीवन की मौजूदा वास्तविकताओं का चित्रांकन तथा उस पर विद्यालय में चर्चा करना और शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित करना।

विशेष क्षेत्र 4: कठिन भौगोलिक क्षेत्र

वर्ष में विशिष्ट मौसम के दौरान विशेष दुर्गम क्षेत्र जैसे कि भारी वर्षा के क्षेत्र, रेगिस्तान, पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों पर अधिक देखभाल एवं ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत भौतिक बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान तथा विद्यालय के सामान्य जीवन को प्रभावित करने वाले मौसम के बदलाव से निपटने का प्रावधान सम्मिलित होगा। इसका उद्देश्य प्रभावी रूप से इस तरह की चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करने हेतु विद्यालय को तैयार करना है।

- मौसम और भौगोलिक विविधताओं के अनुसार मौसम विशिष्ट समय–सारणी का सृजन तथा क्रियान्वयन।
- विद्यालय की निरंतरता की सुनिश्चितता तथा ड्रॉप–आउट को रोकना, विचार–विमर्श के माध्यम से बच्चों की अनुपस्थिति की रोकथाम तथा समुदाय नेताओं तथा अभिभावकों से बातचीत।
- उपयुक्त बुनियादी ढांचे का निर्माण तथा विशिष्ट स्थान और चरम जलवायु चुनौतियों का सामना करने हेतु मध्याह्न भोजन सामग्री और शैक्षिक सामग्री का भंडारण।
- चरम जलवायु विविधताओं का सामना करने हेतु शिक्षकों और बच्चों को तैयार करना।
- चुनौतियों का सामना करने के लिए विद्यालय को तैयार करने हेतु समुदाय के साथ साझेदारी स्थापित करना।

विशेष संदर्भों में चुनौतियों तथा विशिष्ट मुद्दों का संबोधन करते हुये यह पाठ्यक्रम विद्यालय प्रमुखों को समस्या सुलझाने तथा निर्णय लेने की प्रक्रियाओं हेतु समर्थन प्रदान करने का प्रयास करता है।

सामग्री विकास

अनुकूलन और संदर्भीकरण

प्रत्येक मुख्य क्षेत्र तथा उनके मुख्य भागों को ध्यान में रखकर अंतःक्रियात्मक और आसान पठन–पाठन सामग्री की एक श्रृंखला मॉड्यूल अधिगम विकल्पों के विद्यालयी शिक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आधारित मॉड्यूल अधिगम विकल्प के रूप में विकसित की जायेगी। विभिन्न स्त्रोतों से सामग्री एकत्र करके कई मॉड्यूल तैयार किये जायेगें। पठन सामग्री का भंडार, संसाधन समूह तथा संसाधन व्यक्तियों को विविध संदर्भों में विद्यालय प्रमुखों के साथ उनके कार्य के स्वरूप के आधार पर विभिन्न संयोजनों में सामग्री के प्रयोग के लिए पर्याप्त विकल्प प्रदान करेगा :

- लक्ष्य विशिष्ट मॉड्यूल : संभावित तथा आकांक्षी विद्यालय नेतृत्व की विशिष्ट नेतृत्वकारी आवश्यकताओं के साथ प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च–माध्यमिक विद्यालयों के विद्यालय नेतृत्व की विविध आवश्यकताओं के संबोधन हेतु सामग्री।
- मुद्दे–विशिष्ट मॉड्यूल : प्रासंगिक चुनौतियों तथा देश के विविध विद्यालयों में व्याप्त मुद्दों के संबोधन हेतु सामग्री।

राज्यों से प्राप्त सामग्री में वास्तविक केस अध्ययन सम्मिलित किये जायेंगे। राज्य संसाधन समूहों के साथ कई कार्यशालाओं के बाद पाठ्यचर्या रूपरेखा तथा सामग्री को राज्य के अधीन आने वाले विद्यालयों की वास्तविकता के अनुरूप बनाया जायेगा।